बिहार पुलिस मुख्यालय
(विशेष कार्य बल)
दिनांक–18.11.2024

कैश लूट की घटना विफल एवं पुलिस मुठभेड़ के उपरांत खगड़िया जिला का अपराधकर्मी निर्मल यादव अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार

- दिनांक 17.11.2024 को बिहार एस0टी0एफ0 की विशेष टीम एवं खगड़िया जिला पुलिस के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में प्रिंस कुमार गिरोह के सक्रिय सदस्य एवं खगड़िया जिला का कुख्यात अपराधकर्मी निर्मल यादव पे0 सूलेन यादव सा0 पीरनगरा थाना बेलदौर जिला खगड़िया को खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र से पुलिस मुठभेड़ के उपरांत अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में खगड़िया जिला के बेलदौर थाना कांड संख्या 399/24 दिनांक 17.11.2024 धारा 132/109/3(5) बी0एन0एस0 एवं 25(1–बी)ए/ 26/27/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है।
- बरामदगीः–

1. देशी पिस्टल–01
2. जिंदा कारतूस–13
3. मोटरसाईकिल–03
4. मोबाईल–02

- उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधकर्मी मधेपुरा जिला के ईनामी अपराधकर्मी प्रिंस कुमार गिरोह के साथ उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र में कैश लूट करने की योजन बना रहा था।
- बिहार एस.टी.एफ. को प्राप्त सूचना के आधार पर बिहार एस0टी0एफ0 एवं मधेपुरा जिला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए, उक्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें उक्त अपराधकर्मी के द्वारा पुलिस बल पर जान लेवा हमला किया गया जिसके फलस्वरूप पुलिस मुठभेड़ के उपरांत उक्त अपराधी को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया एवं कैश लूट की योजना को विफल किया गया।
- घटना में संलिप्त अन्य चार अपराधकर्मी भागने में सफल रहे, जिनके गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया जा रहा है।
- उक्त अपराधकर्मी निर्मल यादव के विरूद्ध खगड़िया जिला के बेलदौर थाना में चोरी, रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट सहित तीन कांड दर्ज है।

STF